A3
1

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 03/2014

उनवान

1. रामकरण पुत्र भेरू जाति मीना निवासी ग्राम नीदडदा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वादी

बनाम

1. बीरस्या उर्फ पीर शाह पुत्र अल्लास्याह फकीर मुसलमान निवासी शहर सवाई माधोपुर ।
2. सरकार जरिये तहसीलदार,सवाई माधोपुर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र इस्त करार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188, आर0टी0एक्ट

अभिभाषक :–1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वादी

2. श्री महावीर प्रसाद चोधरी पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांकः– 04.9.2018**

वादी द्वारा एक वाद पत्र इस्त करार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188, आर0टी0एक्ट में पेश किया है। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादी ग्राम चकेरी तह0 व जिला सवाई माधोपुर का मूल निवासी व काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं 2. वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की की कृषि भूमि साबिक ख0नं0 1114 रकबा 0.62 है0 ख0नं0 1116 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 1009 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 1100 रकबा 0.09 है0 ख0नं0 1108 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 1113 रकबा 0.04 है0 कुल किता 6 रकबा 1.02 है0 किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम श्यामपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है जिस पर परिवादी का पूर्वजो के समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। 3. साबिक कृषि भूमि खं0 नं0 541 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खं0 नं0 542 रकबा 2 बीघा सम्वत 1988 मिसल हकीयत के खाता संख्या 607 के कॉलम नं0 4 में वादी के पिता भैरो वल्द सोराम कोम मीना के नाम दर्ज है। मिसल हकीयत सम्वत 1988 की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है, लेकिन रिकार्ड में जानबूझकर जाति माली दर्ज कर दी। 4. सम्वत 2004 से सम्वत 2023 की बीस साला खतोनी बन्दोबस्त में प्रतिवादी सं0 एक के नाम राजस्व रिकार्ड में ख0 नं0 583 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0नं. 584 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 585 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा,ख0नं0 586 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा,ख0नं0 590 रकबा 4 बिस्वा,ख0नं0 591 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 592 रकबा 9 बिस्वा,ख0नं0 593रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा,ख0नं0 594 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। खतौनी बीस साला की प्रमाणित प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं 5. सम्वत् 2012 से 2015 में प्रतिवादी के खाते में से काफी कृषि भूमि दीगर व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। खाता संख्या 1220 की प्रमाणित जमाबन्दी वाद पत्र के संलग्न पेंश की हैं 6. विवादित ख0नं0 590 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 592 रकबा 9बिस्वा ख0नं0 594 रकबा 3 बिस्वा ख0नं0 593 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा सम्वत् 2012 से सम्वत् 2015 की जमाबन्दी में दर्ज थी, जबकि 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि मुताविद्द जमाबन्दी आज भी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हैं 7. वादी का विवादित भूमि पर वादी का अपने पूर्वजों के समय से अर्थात् 80 वर्ष पूर्व से

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

भौतिक कब्जा होने के कारण वादी को कानूनन इस्तकरार हक की घोषणा करवाने का अधिकार हो गया हैं इसलिये न्यायालय की शरण लेकर दावा प्रस्तुत कर रहा है। 8. प्रतिवादी सं0 एक का राजस्व अभिलेख के अनुसार निवास स्थान शहर सवाई माधोपुर दर्ज है लेकिन प्रतिवादी के वारिसान की जानकारी भी वादी को नही हो पाई एवं सम्वत 1988 में भी प्रतिवादी का नाम दर्ज है इसलिये प्रतिवादी सं0 एक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया हैं 9. तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया जा रहा है।10. उपरोक्त विवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 20.5.2013 को पटवारी हल्का ने मौके पर आकर विवादित भूमि हाल ख0 नं0 1099,1100,1108,1113,1114,1116,कुल किता 6 रकबा 1.02 है0 को लावचारिस घोषित करवाने की धमकी दिये जाने के कारण उक्त विवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ हैं 11. वादपत्र की सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र अन्दर म्याद एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश हैं 13. वाद पत्र वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। अ– घोषणा इस्तकरार हक इस अमर की फरमाई जावें कि ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाई माधोपुर में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नं0 590 रकबा 4 बिस्वा,ख0नं0 592 रकबा 9 बिस्वा,ख0नं0 593 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा,ख0नं0 594 रकबा 3 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कं जिसके हाल नवीन ख0 नं0 1099,1100,1108,1113,1114,1116,कुल किता 6 रकबा 1.02 है, पर वादी का पूर्वजों के समय से भौतिक कब्जा कास्त होने के कारण वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादी सं0 एक के नाम के इन्द्राज को हफज किया जावे। ब– राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादी सं0 एक का भौतिक कब्जा नही होने के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी संख्या एक का नाम हफज किया जाकर वादी के नाम का इन्द्राज राजस्व जमाबंदी मे दर्ज किया जावें। स– अन्य दादरसी जो भी मुफीस हो न्यायहित में वादी को दिलाई जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की तामील हेतु राजस्थान पत्रिका में दिनांक 18.1.2018 को सम्मन प्रकाशित होने के बावजूद भी न्यायालय में प्रतिवादी न तो स्वयं उपस्थित नही उनकी ओर से कोई वकील न्यायालय में उपस्थिति हुये। इसलिये दिनांक 23.3.2018 को प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। साक्ष्य वादी में केशर लाल, जगदीश,प्रहलाद व बाबू लाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व 7 किता दस्तावेज प्रदर्श करवाय।

हमने वकील वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने बहस में बताया कि वादी द्वारा अपने वाद को किसी भी रूप में दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही किया है इसलिये वादी का वाद खारिज किया जावे।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन राजस्व रिकार्डस खाता संख्या 397 जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 प्रदर्श–1 ,मिसल हकीयत बन्दोबस्ती खाता संख्या 607 मौजा श्यामपुरा सम्वत 1988 प्रदर्श 2, बीस साला खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 से 2023 प्रदर्श 3 , जमाबन्दी खेवट खतोनी सम्वत 2012 से 2015 तक प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035, की प्रमाणित छाया प्रति न्यायालय में पेश की है जिनका अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत 1988 मिसल हकीयत के खाता संख्या 607 के कॉलम नं0 4 में भैरो वल्द सोराम कोम माली के नाम का अंकन हो रहा है।जबकि वाद मीना जाति का है। वादी की जाति का मिसल हकीयत में अंकन मीना के स्थान पर माली हो गया हो ऐसा कोई सबूत अथवा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि वादी की हो । जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015 तक प्रदर्श 4 का अवलोकन किया जिसमें उक्त भूमि प्रतिवादी बीरस्याह वल्द अल्लस्याह के नाम दर्ज है एवं जमाबन्दी के कांलम संख्या 5 में खुदकास्त अंकित है। जिससे भी यह साबित होता है कि उक्त भूमि वादी की नही थी ना ही विवादित भूमि का कोई कब्जा था। वादी द्वारा उसका कब्जा होने के बाबत पुरानी गिरदावरी या कोई अन्य राजस्व रिकार्ड का ठोस साक्ष्य सबूत भी पेश नही किया

सहायक कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जिससे साबित हो कि उक्त विवादित भूमि पर वादी के पिता का निरन्तर कब्जा रहा हो।ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद को सिद्व करने में असफल रहा है।अतः वादी का वाद खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो"

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर